

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 1.5)

संघ शासित क्षेत्र सरकार वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े¹

(₹ करोड़ में)

भाग-क प्राप्तियाँ	(31.10.2019 से 31.03.2020)	2020-21
राजकोषीय औसत		
1. राजस्व प्राप्तियाँ (क) + (ख)	22,557.34	52,495.48
(क) कर राजस्व	4,056.49	8,876.99
(i) संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के करों से राजस्व	4,056.49	8,876.99
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	2,115.75	4,839.35
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	782.43	1,495.61
राज्य उत्पाद शुल्क	587.67	1,347.42
वाहनों पर कर	246.08	488.38
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	117.54	325.54
भू-राजस्व	48.32	60.57
अन्य कर	158.70	320.12
(ii) संघीय करों एवं शुल्कों में संघ शासित क्षेत्र की हिस्सेदारी	0.00	0.00
(ख) गैर-कर राजस्व	18,500.85	43,618.49
(i) संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के गैर- कर राजस्व	2,062.77	4,076.38
विद्युत विभाग से प्राप्तियाँ	1,196.66	2,349.74
(ii) केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	16,438.08	39,542.11
राज्य के स्वयं के राजस्व	6,119.26	12,953.37
(क) (i) + (ख) (i)		
केन्द्र से राजस्व हस्तांतरण (क) (ii) + (ख) (ii)	16,438.08	39,542.11
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ)	2.34	1.93
3. सकल लोक ऋण प्राप्तियाँ (अर्थापय अग्रिमों की प्राप्तियाँ सहित)	16,647.37	42,732.93
4. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)	39,207.05	95,230.34
5. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	0.00	25.00
6. सकल लोक लेखा प्राप्तियाँ (विभागीय नकद तिजोरी और नकद शेष में निवेश सहित प्राप्तियाँ)	11,364.19	24,833.82
सकल प्राप्तियाँ (4+5+6)	50,571.24	120,089.16
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	3,604.34	1,464.16
विभागीय नकद तिजोरी और नकद शेष में निवेश सहित प्राप्तियाँ		

¹ ₹ एक करोड़ का अंतर, जहाँ कहीं भी है, पूर्णांकित करने के कारण है।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भाग-ख संवितरण		
राजकोषीय औसत	31.10.2019 से 31.03.2020	2020-21
1. राजस्व व्यय	22,719.43	52,633.75
(क) + (ख)=(i) + (ii) + (iii)		
(क) सीएसएस/ सीए	637.96	1,740.45
(ख) प्रसामान्य/ सामान्य/ राज्य निधि व्यय	22,081.47	50,893.30
(i) सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	9,383.75	25,521.16
(ii) समाज सेवाएं	8,614.74	19,471.70
(iii) आर्थिक सेवाएं	4,720.94	7,640.89
2. पूँजीगत व्यय	5,422.20	10,470.38
(क) + (ख)=(i) + (ii) + (iii)		
(ए) सीएसएस/ सीए	1,861.63	4,294.25
(ख) सामान्य	3,560.57	6,176.13
(i) सामान्य सेवाएं	733.57	776.24
(ii) समाज सेवाएं	1,492.93	2,492.57
(iii) आर्थिक सेवाएं	3,195.70	7,201.57
3. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	38.14	61.64
4. कुल (1+2+3)	28,179.77	63,165.77
5. सकल लोक ऋण का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय अग्रिमों के पुनर्भुगतान सहित) जिसका	13,149.34	33,563.32
आंतरिक ऋण (ओवरड्राफ्ट और अर्थोपाय अग्रिमों को छोड़कर)	985.31	4,134.06
अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल संव्यवहार	-295.18	-1,784.54
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	58.91	118.34
6. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन	0.00	25.00
7. समेकित निधि में से सकल संवितरण (4+5+6)	41,329.11	96,754.09
8. आकस्मिकता निधि संवितरण	0.00	0.00
9. निवल लोक लेखा संवितरण	7,759.85	23,369.66
10. सकल संवितरण (7+8+9)	49,088.96	1,20,123.75
11. नकद शेष में वृद्धि	1,482.28	-34.59
12 कुल योग	50,571.24	1,20,089.16

भाग- ग घाटे		
1. राजस्व अधिशेष (+)/ राजस्व घाटा (-) (राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय)	-162.09	-138.27
2. राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (लोक ऋण और अन्य देयताओं के उन्मोचन को छोड़कर कुल व्यय - कुल गैर-ऋण प्राप्तियाँ)	5,620.09	10,693.36
3. प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान)	3,088.46	4,320.90
4. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,531.63	6,372.46
5. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	3,998.98	6,531.86
6. लिये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट (दिनों में)	132 (51 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)	318 (58 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)
7. डब्ल्यूएमए/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	12.87	40.13
8. लोक ऋण प्राप्तियाँ	16,647.37	42,732.93
9. वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी ²)	1,70,382	1,76,282.00
10. बकाया लोक ऋण ³ (वर्ष के अंत में) लोक लेखा को छोड़कर	3,498.03	12,667.64
11. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अंत में) ब्याज सहित	1,324.54	1,486.07
12. प्रत्याभूतित अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	5,204.84	12,564.18
13. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुपलब्ध	165
14. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	अनुपलब्ध	464.91
कुल व्यय/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	अनुपलब्ध	35.83
राजस्व प्राप्तियाँ/ कुल व्यय (प्रतिशत)	80.05	83.11
राजस्व व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	80.62	83.33
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	35.87	34.77
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	28.09	23.50
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	19.24	16.58
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	16.64	15.35
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष/ राजस्व घाटा	-	-0.08
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	-	6.07
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा	-	2.45
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	-	-1.29
देयताएं/ जीएसडीपी ⁴ (प्रतिशत)	-	9.63
देयताएं/ राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	-	32.35
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज) वर्ष के लिए कुल ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	89	89
निवेश पर प्रतिफल	शून्य	शून्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/ देयताएं	98	98

स्रोत: वित्त लेखे

² जीएसडीपी के आँकड़े एमओएसपीआई वेबसाइट से लिये गये हैं।

³ केन्द्र सरकार से केवल आंतरिक ऋण और ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

⁴ 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर तत्कालीन राज्य की देयता को ध्यान में रखते हुए, जीएसडीपी में देयता 57.02 प्रतिशत होगी।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 1.5.1)

वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
विभिन्न मदें	2020-21	2020-21	विभिन्न मदें	2020-21	2020-21
1	2	3	4	5	6
अनुभाग-क: राजस्व					
I. राजस्व प्राप्तियाँ		52,495.48	I. राजस्व व्यय		52,633.75
स्वयं के कर-राजस्व	8,876.99		सामान्य सेवाएं		25,521.16
			समाज सेवाएं		19,471.70
गैर-कर राजस्व	4,076.38		शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	10,092.54	
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,427.59	
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	0.00		जलापूर्ति, स्वच्छता/ एचएण्ड्यूडी	2,710.12	
			सूचना एवं प्रसारण	79.51	
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	87.29	
वित्त आयोग अनुदान	0.00		श्रम एवं श्रम कल्याण	46.07	
भारत सरकार से अनुदान (राज्यों को अन्य अनुदान/ हस्तांतरण)	39,542.11		समाज कल्याण और पोषण	1,983.29	
			अन्य	45.29	
			आर्थिक सेवाएं		7,640.89
			कृषिगत एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,870.56	
			ग्रामीण विकास	448.06	
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		
			सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	611.85	
			ऊर्जा	2,812.84	
			उद्योग एवं खनिज	358.28	
			परिवहन	210.38	
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	41.94	
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	286.98	
II. अनुभाग-ख में अग्रानीत राजस्व घाटा		138.27	II. अनुभाग-ख में अग्रानीत राजस्व अधिशेष		
कुल अनुभाग-क		52,633.75	कुल अनुभाग-क		52,633.75

अनुभाग-ख: पूँजीगत					
III. स्थायी अग्रिमों और नकद शेष निवेश सहित अथ नकद शेष		1,482.28	III. पूँजीगत परिच्यय		10,470.38
IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		0.00	सामान्य सेवाएं		776.24
			समाज सेवाएं		2,492.57
			शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	597.74	
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	529.85	
			जलापूर्ति, स्वच्छता/ एचएण्डयूडी	848.69	
			सूचना एवं प्रसारण	0.44	
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	31.28	
			समाज कल्याण और पोषण	468.50	
			अन्य समाज सेवाएं	16.07	
			आर्थिक सेवाएं		7,201.57
			कृषिगत और संबद्ध गतिविधियाँ	702.31	
			ग्रामीण विकास	2,022.86	
			विशेष क्षेत्रों कार्यक्रम		
			सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	147.72	
			ऊर्जा	589.58	
			उद्योग और खनिज	163.76	
			परिवहन	2,627.86	
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	24.23	
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	923.25	
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ		1.93	IV. ऋण एवं अग्रिम संवितरण		61.64
उद्योग और खनिज	1.27		उद्योग और खनिज	28.14	
सरकारी सेवक	0.47		परिवहन	32.50	
अन्य	0.19		अन्य	01.00	
VI. राजस्व अधिशेष			V. राजस्व घाटा		138.27

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		13,422.01	VI. लोक ऋण का पुनर्भुगतान		4,252.40
अर्थोपाय अग्रिमों के अलावा राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	9,649.96		अर्थोपाय अग्रिमों के अलावा राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	4,134.06	
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	2,282.69		भारत सरकार से ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान	118.34	
निवल अर्थोपाय अग्रिम	1,489.36		निवल अर्थोपाय अग्रिम		
VIII. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन		25.00	VII. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन		25.00
IX. आकस्मिकता निधि को प्रतिपूरित राशि		0.00	VIII. आकस्मिकता निधि से व्यय		0.00
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		24,833.82	IX. लोक लेखा संवितरण		23,369.66
लघु बचतें और भविष्य निधियाँ	5,968.29		लघु बचतें और भविष्य निधियाँ	4,824.12	
आरक्षित निधियाँ	790.67		आरक्षित निधियाँ	206.49	
जमाएं और अग्रिम	3,427.29		जमाएं और अग्रिम	2,845.33	
उचंत और विविध	12,655.15		उचंत और विविध	12,737.49	
प्रेषण	1,992.42		प्रेषण	2,756.23	
			X. अंत में नकद शेष		1,447.69
			बैंक के पास जमाएं	1,447.69	
कुल अनुभाग-ख		39,765.04	कुल अनुभाग-ख		39,765.04

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. पूर्वगामी विवरणों में संक्षिप्त लेखाओं को वित्त लेखों में की गई टिप्पणियों और व्याख्याओं के साथ पढ़ा जाए।
2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद के आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में प्रोद्भूत आधार के विपरीत सरकारी लेखाओं में घाटा नकद आधार पर स्थिति इंगित करता है। परिणामस्वरूप, स्टॉक ऑकड़ों आदि पर, मूल्यहास या भिन्नता वाली मदें या भुगतान या प्राप्य मदें लेखाओं में नहीं दर्शायी जाती हैं।
3. उचंत और विविध शेषों में जारी बैंकों परंतु भुगतान नहीं किये गये और संघ शासित क्षेत्र की ओर से किये गये भुगतान और अन्य लंबित निपटान इत्यादि को शामिल किया जाता है।

परिशिष्ट-1.2 (जारी)
31 मार्च 2021 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार
की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड में)

31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक	
देयताएं				
	3,556.94	आंतरिक ऋण		10,562.21
3,415.92		ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	9,435.22	
(-)26.65		एलआईसी से ऋण	(-)169.64	
167.68		अन्य संस्थानों से ऋण	1,296.63	
	(-)58.91	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		2,105.44
0.00		1984-85 से पहले के ऋण	0.00	
0.00		गैर-नियोजित ऋण	0.00	
(-)58.47		राज्य/संघ शासित क्षेत्र की ऋण योजनाओं के लिए ऋण	(-)175.81	
(-)0.44		विधानमण्डल योजनाओं वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के लिए अन्य ऋण	2,281.25	
	0.00	आकस्मिकता निधि		25.00
	1,041.80	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि		2,185.97
	186.95	आरक्षित निधियाँ		771.13
	773.57	जमाएं		1,355.53
	1,398.31	प्रेषण शेष		634.50
	203.71	उचत और विविध शेष		121.15
	0.00	सरकारी लेखा पर अधिशेष		0.00
	7,102.37	कुल		17,760.93

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2021 तक		
परिसंपत्तियाँ				
	5,422.20	निर्धारित परिसंपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		15,892.58
81.12		कंपनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	162.39	
5,341.08		अन्य पूँजीगत परिव्यय	15,730.19	
	35.80	ऋण एवं अग्रिम		95.51
23.00		उद्योग और खनिज	40.13	
13.26		परिवहन	55.50	
		ऊर्जा		
		कृषिगत एवं संबद्ध गतिविधियाँ		
(-)0.01		अन्य विकास ऋण	0.50	
(-)0.15		सरकारी सेवकों को ऋण और विविध ऋण	(-)0.62	
	0.00	अग्रिम		
	0.00	उचंत और विविध शेष		
	0.00	आकस्मिकता निधि से (अप्रतिपूरित)		0.00
		आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)		25.00
	1,482.28	नकद		1,447.69
0.00		कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.00	
1,482.28		बैंक के पास जमाएं	1,447.69	
	162.09	प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य		300.14
	7,102.37	कुल		17,760.93

स्रोत: वित्त लेखे

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित 30.10.2019 की समाप्ति तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.3.1)

विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

क्र. सं.	अनुदान/ विनियोग	मुख्य लेखा शीर्ष	व्यय	योजनाओं एवं उप शीर्षों की संख्या
			(₹ करोड़ में)	
1.	02	2055	3.01	3
2.	07	2202 व 4202	4.22	4
3.	08	2049, 2075, 5475, 6003 व 6004	6,401.72	13
4.	10	2014 व 2030	0.07	02
5.	12	2402 व 4402	2.38	02
6.	13	4403	0.58	02
7.	15	4235	2.74	02
8.	16	4059 व 5054	3.93	02
9.	17	2210, 2211 व 4210	5.08	03
10.	18	2235, 4225 व 4236	8.43	03
11.	19	4217	156.40	03
12.	21	2406 व 4406	120.00	10
13.	23	2215	0.03	01
14.	27	4202	0.02	01
15.	28	2501	1.00	01
16.	30	2225	4.73	01
	कुल		6,714.34	53

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.3.3)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान/ विनियोग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचते
I- राजस्व (दत्तमत)					
1	10-विधि विभाग	675.25	73.73	311.68	363.57
2	17-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	4,900.70	315.80	4,427.59	473.11
3	18-समाज कल्याण विभाग	2,022.69	383.90	1,665.59	357.10
4	26-मत्स्यपालन विभाग	98.93	0.87	89.86	9.07
कुल-I		7,697.57	774.30	6,494.72	1,202.85
II-पूँजीगत (दत्तमत)					
5	3-योजना विभाग	1,364.97	33.00	499.32	865.65
6	6-विद्युत विकास विभाग	3,522.90	10,110.74	589.57	2,933.33
7	14-राजस्व विभाग	12.45	76.00	3.64	8.81
8	16-लोक निर्माण विभाग	2,968.11	653.55	2,924.06	44.05
9	23-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	704.72	539.04	311.28	393.44
10	17- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग	1,267.63	187.44	529.85	737.79
11	26- मत्स्यपालन विभाग	91.99	19.12	34.70	57.29
कुल-II		9,932.77	11,618.89	4,892.42	5,040.36
कुल योग		17,630.35	12,393.19	11,387.14	6,243.21

परिशिष्ट 3.3
(संदर्भ पैराग्राफ: 3.4.1)
महत्त्वपूर्ण बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	1	सामान्य प्रशासन विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	515.33	381.46	133.87	
		प्रभारित	24.45	19.24	5.21	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	288.12	86.63	201.49	
		कुल	827.89	487.33	340.57	41%
2	2	गृह विभाग-	0.00	0.00	0.00	
		राजस्व				
		दत्तमत	8,104.07	6,893.28	1,210.78	
		प्रभारित				
		पूँजीगत	1,111.45	223.46	887.99	
		कुल	9,215.52	7,116.75	2,098.77	23%
3	3	योजना विभाग-	0.00	0.00	0.00	
		राजस्व				
		दत्तमत	123.00	76.37	46.63	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,397.97	499.32	898.65	
		कुल	1,520.97	575.69	945.28	62%
4	4	सूचना विभाग-				
		राजस्व				
		दत्तमत	111.47	79.51	31.97	
		पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	
		दत्तमत	1.15	0.44	0.71	
		कुल	112.63	79.95	32.68	29%
5	6	विद्युत विकास विभाग-				
		राजस्व				
		दत्तमत	3,767.71	2,812.84	954.87	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	13633.65	589.57	13,044.07	

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
		कुल	17,401.35	3,402.42	13,998.94	80%
6	7	शिक्षा विभाग-				
		राजस्व				
		दत्तमत	11,126.20	8,425.52	2,700.67	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,030.23	186.26	843.97	
		कुल	12,156.43	8,611.78	3,544.65	29%
7	9	संसदीय मामले विभाग-				
		राजस्व				
		दत्तमत	53.34	23.59	29.75	
		प्रभारित	0.86	0.00	0.86	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	8.00	0.00	8.00	
		कुल	62.21	23.59	38.61	62%
8	10	विधि विभाग-				
		राजस्व				
		दत्तमत	748.98	311.68	437.30	
		प्रभारित	58.42	49.27	9.15	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	109.00	49.04	59.96	
		कुल	916.40	409.99	506.41	55%
9	11	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग-				
		राजस्व				
		दत्तमत	467.64	251.33	216.32	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	494.25	183.63	310.63	
		कुल	961.90	434.95	526.95	55%
10	12	कृषि विभाग-				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,386.36	1,078.50	307.86	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,292.10	168.51	1,123.59	
		कुल	2,678.46	1,247.01	1,431.44	53%
11	13	पशु/ भेड़ पालन विभाग				

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
		राजस्व				
		दत्तमत	728.44	506.06	222.38	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	368.97	129.02	239.95	
		कुल	1,097.41	635.08	462.33	42%
12	14	राजस्व विभाग-				
		राजस्व				
		दत्तमत	650.95	478.76	172.19	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	88.45	3.64	84.81	
		कुल	739.40	482.40	257.00	35%
13	15	खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	313.74	153.91	159.83	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	412.04	106.06	305.98	
		कुल	725.78	259.97	465.81	64%
14	16	लोक निर्माण विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	954.85	857.01	97.84	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	3,621.66	2,924.06	697.60	
		कुल	4,576.50	3,781.07	795.44	17%
15	17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	5,216.51	4,427.59	788.92	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,455.07	529.85	925.22	
		कुल	6,671.57	4,957.44	1,714.14	26%
16	18	समाज कल्याण विभाग				
		राजस्व				

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
		दत्तमत	2,406.59	1,665.59	741.00	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	115.23	36.55	78.68	
		कुल	2521.82	1,702.14	819.68	33%
17	19	आवास एवं शहरी विकास विभाग-				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,025.87	987.16	38.71	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	2,052.68	537.40	1,515.27	
		कुल	3,078.54	1,524.56	1,553.98	50%
18	20	पर्यटन विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	247.51	122.47	125.04	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	576.62	64.51	512.11	
		कुल	824.13	186.98	637.15	77%
19	21	वन विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,244.73	1,067.95	176.78	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,060.72	119.35	941.37	
		कुल	2,305.45	1,187.30	1,118.15	49%
20	22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	909.53	580.93	328.60	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,559.83	131.13	1,428.70	
		कुल	2,469.36	712.06	1,757.30	71%
21	23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,856.07	1,641.54	214.53	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,243.76	311.28	932.48	
		कुल	3,099.83	1,952.82	1,147.01	37%

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
22	24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	297.36	207.10	90.26	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	35.00	21.84	13.16	
		कुल	332.36	228.94	103.42	31%
23	25	श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	130.23	71.89	58.34	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	58.08	13.60	44.48	
		कुल	188.31	85.49	102.82	55%
24	26	मत्स्यपालन विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	99.80	89.86	9.95	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	111.11	34.70	76.41	
		कुल	210.91	124.56	86.35	41%
25	27	उच्चतर शिक्षा विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,440.26	1,170.81	269.45	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,362.01	357.33	1,004.69	
		कुल	2,802.28	1,528.14	1,274.14	45%
26	28	ग्रामीण विकास विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	954.68	453.77	500.90	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	5,284.09	2,022.87	3,261.22	
		कुल	6,238.76	2,476.64	3,762.12	60%
27	29	परिवहन विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	115.27	62.85	52.42	

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
		पूँजीगत				
		दत्तमत	188.00	122.37	65.63	
		कुल	303.27	185.22	118.05	39%
28	30	जनजातीय मामले विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	105.42	47.77	57.64	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	162.58	25.86	136.72	
		कुल	267.99	73.63	194.36	73%
29	31	संस्कृति विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	68.91	48.79	20.12	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	129.38	4.06	125.32	
		कुल	198.29	52.85	145.44	73%
30	32	उद्यान कृषि विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	210.19	119.59	90.60	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	580.20	178.09	402.11	
		कुल	790.39	297.68	492.71	62%
31	33	आपदा प्रबंध, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,052.80	784.23	268.57	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	451.57	6.25	445.32	
		कुल	1,504.37	790.48	713.88	47%
32	34	युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	737.88	459.51	278.37	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	252.66	55.32	197.34	

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
		कुल	990.54	514.83	475.71	48%
33	35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग				
		राजस्व				
		दत्तमत	18.24	10.48	7.76	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	148.49	23.24	125.24	
		कुल	166.73	33.72	133.01	80%
34	36	सहकारी विभाग-				
		राजस्व				
		दत्तमत	87.38	42.21	45.17	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	15.00	8.15	6.85	
		कुल	102.38	50.35	52.03	51%
		कुल योग	88,060.14	46,213.82	41,846.32	

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.4.2)

प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत प्रावधान के उपयोग की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	विनियोग की राशि	व्यय	उपयोग प्रतिशतता
1	सामान्य प्रशासन विभाग	827.89	487.33	59%
2	गृह विभाग	9,215.52	7,116.75	77%
3	योजना एवं विकास विभाग	1,520.97	575.69	38%
4	सूचना विभाग	112.63	79.95	71%
6	विद्युत विकास विभाग	17,401.35	3,402.42	20%
7	शिक्षा विभाग	12,156.43	8,611.78	71%
8	वित्त विभाग	45,535.59	50,572.47	111%
9	संसदीय मामले विभाग	62.21	23.59	38%
10	विधि विभाग	916.40	409.99	45%
11	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	961.90	434.95	45%
12	कृषि विभाग	2,678.46	1,247.01	47%
13	पशु/ भेड़ पालन विभाग	1097.41	635.08	58%
14	राजस्व विभाग	739.40	482.40	65%
15	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	725.78	259.97	36%
16	लोक निर्माण विभाग	4,576.50	3,781.07	83%
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	6,671.57	4,957.44	74%
18	समाज कल्याण विभाग	2,521.82	1,702.14	67%
19	आवास एवं शहरी विकास विभाग	3,078.54	1,524.56	50%
20	पर्यटन विभाग	824.13	186.98	23%
21	वन विभाग	2,305.45	1,187.30	51%
22	सिंचाई विभाग	2,469.36	712.06	29%
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	3,099.83	1,952.82	63%
24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग	332.36	228.94	69%
25	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	188.31	85.49	45%
26	मत्स्यपालन विभाग	210.91	124.56	59%

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	विनियोग की राशि	व्यय	उपयोग प्रतिशतता
27	उच्चतर शिक्षा विभाग	2,802.28	1,528.14	55%
28	ग्रामीण विकास विभाग	6,238.76	2,476.64	40%
29	परिवहन विभाग	303.27	185.22	61%
30	जनजातीय मामले विभाग	267.99	73.63	27%
31	संस्कृति विभाग	198.29	52.85	27%
32	उद्यान कृषि विभाग	790.39	297.68	38%
33	आपदा प्रबंध, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग	1,504.37	790.48	53%
34	युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	990.54	514.83	52%
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	166.73	33.72	20%
36	सहकारी विभाग	102.38	50.35	49%
	कुल योग	1,33,595.72	96,786.29	

परिशिष्ट 3.5
(संदर्भ पैराग्राफ: 3.5)
शून्य व्यय सहित अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	बजट आबंटन	व्यय	योजनाओं एवं उप शीर्षों की संख्या
1	1	2070,4075 व 5452	75.98	0	3
2	3	3454 व 5475	394.70	0	9
3	6	2801 व 4801	12,037.22	0	8
4	7	2202 व 4202	321.17	0	3
5	8	2030,2075,2049,5475 व 6003	1838.89	0	12
6	9	2011 व 7610	8.86	0	2
7	10	2014 व 2070	7.49	0	3
8	11	2851 व 4851	56.10	0	5
9	12	4401 व 4851	353.51	0	16
10	13	4403 व 4404	103.49	0	8
11	14	2030,2235,2401 व 4059	10.22	0	7
12	15	2408 व 4408	215.61	0	3
13	17	2210,4210 व 2211	104.66	0	11
14	18	2055,2070,2235,2236,4235 व 4236	157.75	0	15
15	19	4217	116.50	0	4
16	20	5452	17.26	0	2
17	21	4202,4406 व 5425	924.25	0	5
18	22	4701	60.32	0	3
19	23	4215	158.66	0	1
20	27	4202 व 2202	340.40	0	4
21	28	2515 व 4515	693.51	0	7
22	31	4202	11.31	0	2
23	32	4401	59.47	0	2
24	34	4202	56.93	0	3
25	35	5425	10.68	0	1
कुल			18,134.91	0	139

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.5.1)

नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	आधिक्य
I- राजस्व दत्तमत				
1	16- लोक निर्माण विभाग	357.98	382.20	24.22
कुल I- (राजस्व दत्तमत)		357.98	382.20	24.22
II- पूँजीगत दत्तमत				
2	27- उच्चतर शिक्षा विभाग	107.70	137.36	29.66
कुल II- (पूँजीगत दत्तमत)		107.70	137.36	29.66
III- पूँजीगत प्रभारित				
3	08-वित्त विभाग	10,053.23	13,149.34	3,096.11
कुल III- (पूँजीगत प्रभारित)		10,053.23	13,149.34	3,096.11
IV- राजस्व प्रभारित				
4	08-वित्त विभाग	1,806.01	2,531.63	725.62
कुल IV- (राजस्व प्रभारित)		1806.01	2531.63	725.62
कुल (I+II+III+IV)		12,324.92	16,200.53	3,875.61

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.5.1)

नियमितीकरण की आवश्यकता वाले वर्ष 1980-81 से 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019) तक के लिए आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोग की संख्या	अनुदान/ विनियोग की संख्या	आधिक्य	नियमितीकरण की स्थिति
1980-81	16	1,5,6,7,8,9,12,13,14,16,18,19,20,21,22, 23	227.90	नियमित नहीं
1981-82	13	1,3,5,6,8,13,14,16,18,19, 20,21,23	41.99	
1982-83	10	6,8,9,12,14,18,19,21,22,23	119.74	
1983-84	12	1,5,6,7,8,14,18,19,20,21, 22,23	176.75	
1984-85	10	1,6,8,10,14,16,18,19,21,23	65.42	
1985-86	10	1,4,6,10,17,18,19,22,23,26	19.64	
1986-87	15	1,2,4,6,7,8,10,13,18,19,20,22,23,25,26	104.22	
1987-88	17	1,2,3,5,6,8,10,12,13,18,19,21,22,23,24, 26,27	177.32	
1988-89	14	1,2,8,9,10,12,13,15,17,18, 22,23,26,27	438.42	
1989-90	09	1,7,8,11,12,20,21,23,24	205.23	
1990-91	11	1,2,5,8,12,17,19,21,23,25,26	427.72	
1991-92	13	1,2,5,7,8,11,12,14,21,22, 23,26,27	1,152.23	
1992-93	14	1,4,5,8,10,11,12,14,16,20, 21,23,24,26	1,029.71	
1993-94	17	2,3,5,8,10,12,13,14,17,18, 20,21,22,23,24,26,27	1,730.03	
1994-95	14	5,6,8,9,10,12,13,14,20,21, 23,24,26,27	2,057.49	
1995-96	19	2,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,2 3,24,25,26,27	2,936.89	
1996-97	18	2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,16,18,20,21,2 3,24,26,27	3,482.20	
1997-98	16	1,2,4,6,8,9,12,13,16,18,21,22,23,24,26, 27	4,189.21	
1998-99	06	4,5,6,8,23,27	4,185.25	
1999-2000	12	2,3,6,8,9,12,17,18,20,23,24,26	5,851.08	
2000-01	11	1,6,8,9,12,16,18,23,25, 26, 27	6,310.25	नियमित नहीं

वर्ष	अनुदानों/ विनियोग की संख्या	अनुदान/ विनियोग की संख्या	आधिक्य	नियमितीकरण की स्थिति
2001-02	15	3,5,6,8,11,17,18,20,21,23,25,26,27,28, 29	6,393.41	
2002-03	15	3,5,6,7,8,12,14,16,17,18,21,23,25,26,2 8	505.61	
2003-04	18	3,5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23, 24,25,26,28	9,770.53	
2004-05	15	3,6,8,9,12,14,15,16,18,20,25,26,27,28, 29	2,108.42	
2005-06	16	3,5,8, 10,12,15, 16,17,18, 20,21,23,25, 26,27,28	12,954.06	
2006-07	14	8,12,14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27, 28	2,150.03	
2007-08	14	6,8,11,12,14,15,16,20,24,25,26,27,28,2 9	2,277.91	
2008-09	15	5,6,8,11,12,15,16,19,20,22,23,24,25,26 ,27	3,277.38	
2009-10	14	1,6,8,11,15,16,18,20,23,24,25,26,27,29	4,062.58	
2010-11	14	5,6,8,9,16,18,19,22,23,25,26,27,28,29	6,130.76	
2011-12	14	1,6,8,11,12,15,16,18,19,20,23,25,26,27	5,638.79	
2012-13	12	1,5,8,11,13,16,18,20,23,25,26,27	4,741.57	
2013-14	13	4,6,7,8,14,15,16,18,20,23,24,25,28	4,469.79	
2014-15	12	2,6,7,8,11,16,18,19,21,23,24,25	1,099.28	
2015-16	11	4,6,7,8,15,16,17,18,23,26,28	4,258.62	
2016-17	12	3,4,5,8,11,15,16,19,23,26,28,29	2,896.86	
2017-18	08	3,5,8,16,23,24,28,29	6,397.06	
2018-19	07	3,5,8,15,16,17,30	4,631.53	
2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019	16	5,7,8,9,12,15,17,18,19,21,24,26,29,32, 33,34	5,311.53	
		कुल	1,24,004.41	

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.9.1)

बजटीय प्रावधान के प्रति शून्य व्यय (अनुदान संख्या 06)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय
1	2801	80	101	0099	3314	1.48	0
2	2801	80	800	0099	2111	1.48	0
3	4801	01	800	0011	3319	11,025.00	0
4	4801	05	001	0011	1400	400.00	0
5	4801	05	001	0031	1307	319.12	0
6	4801	05	001	0031	1308	280.88	0
7	4801	05	800	0011	0250	2.25	0
8	4801	05	800	0011	0478	7.00	0
कुल						12,037.22	0

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.9.1)

बजटीय प्रावधान के प्रति कम व्यय (बचत) जो अभ्यर्पित नहीं की गयी (अनुदान संख्या 06)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय	बचतें
1	2801	01	101	0099	1306	2,542.81	1,699.93	-842.88
2	2801	05	001	0099	1307	443.12	432.07	-11.05
3	2801	05	001	0099	1308	587.02	538.20	-48.82
4	2801	05	001	0099	1309	179.71	135.62	-44.09
5	2801	80	001	0099	1686	3.60	2.41	-1.19
6	2801	80	005	0099	2170	8.48	5.52	-2.96
7	4801	01	800	0011	2021	5.00	1.50	-3.50
8	4801	01	800	0031	2021	300.00	200.00	-100.00
9	4801	05	001	0011	1307	488.88	117.60	-371.28
10	4801	05	001	0011	1308	396.01	180.13	-215.88
11	4801	05	001	0011	1309	327.45	72.08	-255.37
12	4801	05	001	0011	1310	82.06	18.26	-63.80
कुल						5,364.14	3,403.33	-1,960.81

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.9.2)

बजटीय प्रावधान के बिना किया गया व्यय (अनुदान संख्या 08)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय
1	2030	01	101	0099	1657	0	0.02
2	2030	01	101	0099	1659	0	0.02
3	2030	02	101	0099	0333	0	0.01
4	2030	02	101	0099	1658	0	1.49
5	2030	02	101	0099	1660	0	2.93
6	2030	02	101	0099	1663	0	0.07
7	2049	01	115	0099	9899	0	34.87
8	2049	01	115	0099	9901	0	5.26
9	2049	01	123	0099	0159	0	309.89
10	2049	01	200	0099	0186	0	100.57
11	2049	01	200	0099	0302	0	69.91
12	2049	01	200	0099	2121	0	98.20
13	2049	01	200	0099	2694	0	284.12
14	2049	01	200	0099	3002	0	0.09
15	2049	01	200	0099	3003	0	0.03
16	2049	01	200	0099	3005	0	1.33
17	2049	01	200	0099	3007	0	139.73
18	2049	01	305	0099	3004	0	8.95
19	2049	04	101	0099	1871	0	20.56
20	2049	04	109	0099	1920	0	40.06
21	2049	04	112	0099	1871	0	3.45
22	2049	60	701	0099	0163	0	5.11
23	2071	01	102	0099	2190	0	840.40
24	2071	01	102	0099	0000	0	69.13
25	2071	01	104	0099	2190	0	1,203.35
26	2071	01	104	-	-	0	2.44
27	2071	01	105	0099	2190	0	240.97
28	2071	01	111	0099	2190	0	10.15
29	2071	01	111	0099	-	0	0.15
30	2071	01	117	-	-	0	41.96
31	2075	-	104	0099	0975	0	0.15
32	5475	-	115	0011	1880	0	61.28
33	6003	-	101	0099	0162	0	0.22

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय
34	6003	-	103	0099	0300	0	0.35
35	6003	-	109	0099	0303	0	0.16
36	6003	-	110	0099	9901	0	5,831.70
37	6003	-	111	0099	0159	0	348.65
38	6004	02	105	0099	1920	0	89.03
39	6004	09	101	0099	0848	0	1.00
40	7999	00	201	0000	0000	0	25.00
कुल							9,892.76

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.9.2)

बजटीय प्रावधान के प्रति शून्य व्यय (अनुदान संख्या 08)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय
1	2030	02	102	0099	0344	12.75	0
2	2049	01	101	0099	0163	292.18	0
3	2049	01	201	0099	0184	45.58	0
4	2049	04	101	0099	0723	64.07	0
5	2049	04	104	0099	0171	310.57	0
6	2049	60	701	0099	2140	441.37	0
7	2054	-	800	0099	0418	525.00	0
8	2075	-	103	0099	0317	0.15	0
9	2235	60	102	0099	0668	4.50	0
10	5475	-	115	0011	0906	71.25	0
11	5475	-	115	0011	2354	30.00	0
12	5475	-	115	0011	8085	500.00	0
13	5475	-	115	0099	2218	10.00	0
14	6003	-	109	0099	0159	348.65	0
कुल						2,656.07	0

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.9.2)

बजटीय प्रावधान के प्रति कम व्यय (बचत) जो अभ्यर्पित नहीं की गयी (अनुदान संख्या 08)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय	बचत
1	2030	01	001	0099	0344	6.91	6.54	-0.37
2	2039	-	001	0099	0334	45.07	26.78	-18.29
3	2040	-	001	0099	0334	10.00	7.25	-2.75
4	2040	-	800	0099	1429	1.62	1.16	-0.46
5	2043	-	001	0099	0334	511.03	467.71	-43.32
6	2043	-	104	0099	0983	0.75	0.27	-0.48
7	2047	-	103	0099	0293	11.46	0.96	-10.50
8	2047	-	103	0099	2354	20.00	0.50	-19.50
9	2049	03	104	0099	2187	1,897.66	1,845.08	-52.58
10	2049	03	108	0099	0189	70.00	65.73	-4.27
11	2049	05	105	0099	0185	400.00	43.89	-356.11
12	2049	60	701	0099	1885	207.04	120.00	-87.04
13	2054	-	003	0099	0328	2.46	1.18	-1.28
14	2054	-	003	0099	0329	3.43	2.92	-0.51
15	2054	-	095	0099	0312	9.39	7.17	-2.22
16	2054	-	095	0099	0316	13.24	11.49	-1.75
17	2054	-	095	0099	0326	3.08	2.62	-0.46
18	2054	-	095	0099	2430	4.81	4.35	-0.46
19	2054	-	097	0099	0324	21.59	18.40	-3.19
20	2054	-	097	0099	0335	18.09	15.83	-2.26
21	2054	-	097	0099	2431	16.34	13.39	-2.95
22	2054	-	097	0099	2432	16.73	14.37	-2.36
23	2054	-	098	0099	0314	7.07	6.16	-0.91
24	2054	-	800	0099	0310	6.05	4.54	-1.51
25	2054	-	800	0099	0312	6.55	4.86	-1.69
26	2054	-	800	0099	1190	56.16	40.83	-15.33
27	2071	01	101	0099	2190	7,297.29	5,642.15	-1,655.14
28	2071	01	115	0099	2190	684.29	591.51	-92.78
29	2071	01	117	0031	2327	2.32	1.87	-0.45
30	2071	01	117	0099	2327	657.35	456.58	-200.77
31	2235	60	102	0099	0313	0.51	0.27	-0.24
32	2235	60	105	0099	0323	24.00	16.15	-7.85
33	2235	60	107	0099	0965	3.00	0.02	-2.98

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय	बचत
34	3475	-	115	0099	1880	2.84	1.20	-1.64
35	4059	80	800	0011	2341	34.89	6.88	-28.01
36	5475	-	115	0011	2358	100.00	37.17	-62.83
37	5475	-	800	0011	1303	450.00	185.13	-264.87
38	5475	-	800	0099	8085	1,000.00	500.00	-500.00
39	6003	-	105	0099	0186	310.57	304.85	-5.72
40	6003	-	109	0099	0302	29.00	28.37	-0.63
41	6004	02	101	0099	0848	118.34	28.31	-90.03
42	6235	02	190	0099	0668	5.00	1.00	-4.00
43	6885	01	190	0099	1211	14.90	4.00	-10.90
कुल						14,100.83	10,539.44	-3,561.39

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.9.2)

बजटीय प्रावधान पर आधिक्य व्यय (अनुदान संख्या 08)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय	आधिक्य
1	2049	01	101	0099	0191	3,059.58	3175.61	116.03
2	6003	-	110	0099	2420	22,211.00	23,479.22	1268.22
कुल						25,413.57	26,797.82	1,384.25

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 4.4)

संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभागों को केन्द्रीय योजना निधियों (संघ शासित क्षेत्र बजट से बाहर प्राप्त निधियाँ) का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (अलेखापरीक्षित आँकड़े)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जीओआई योजना का नाम	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अधिकरण	भारत सरकार द्वारा निर्माचन
			2020-21
1	स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोगिता (एसईटीयू) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम)	विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	110.00
2	एनएफएसए के अंतर्गत एफपीएस डीलर मार्जिन तथा खाद्यान्नों की अंतर्राज्यीय गतिशीलता के लिए राज्य अभिकरणों को सहायता	उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	13,784.68
3	जैव-प्रोद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास	राजकीय महिला महाविद्यालय, एमए रोड़, श्रीनगर, एसकेआईएमएस, सौरा, श्रीनगर	68.00
4	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	विभिन्न उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	320.52
5	स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु अवसंरचना का विकास	चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	47.99
6	नर्सिंग सेवाओं का विकास	जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न नर्सिंग विद्यालय	1,125.00
7	एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना और सुदृढीकरण और जूनोटिक रोगों और अन्य उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों की तैयारी और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य पहल अंतर-क्षेत्रीय समन्वय वायरल हेपेटाइटिस एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध की निगरानी	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू/ श्रीनगर	3.96
8	ई-न्यायालय चरण-II	महा पंजीयक, उच्च न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर	100.12
9	अनुसंधान संस्थानों आदि के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजनाएं	राजकीय आयुर्वेद अस्पताल, जम्मू	9.00

क्र. सं.	जीओआई योजना का नाम	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अधिकरण	भारत सरकार द्वारा निर्मोचन
			2020-21
10	मानव संसाधन एवं क्षमता विकास	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू	6.54
11	कृषि जनगणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	313.78
12	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	45.42
13	नवाचार प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन	जम्मू एवं कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	198.60
14	अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजनाएं	जिला विकास आयुक्त, बड़गाम	103.58
15	पंचायत का प्रोत्साहन	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	60.00
16	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	विभिन्न जिला उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	2,250.00
17	राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण-सीआरएफ से वित्तपोषित	परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	20.00
18	वन स्टॉप सेन्टर	उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	218.84
19	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	750.11
20	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	70,883.40
21	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना-मेगा फूड पार्क	उद्यान कृषि विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	150.00
22	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का पीएम औपचारिकीकरण पीएम-एफएमई	उद्यान कृषि विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	668.64
23	मूल्य अनुवीक्षण संरचना	उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	3.42
24	अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान/ अध्ययन, प्रचार, अनुवीक्षण और मूल्यांकन	राजकीय डिग्री महाविद्यालय सोपोर, कश्मीर	2.50
25	अनुसंधान प्रशिक्षण एवं अध्ययन तथा अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर	104.65

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	जीओआई योजना का नाम	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अधिकरण	भारत सरकार द्वारा निर्मोचन
			2020-21
26	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण	राजकीय डिग्री महाविद्यालय	13.50
27	पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी सहायिकी	उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	208.26
28	सांख्यिकीय सशक्तिकरण हेतु सहायता	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर	137.75
29	महिला हेल्प लाइन	उपायुक्त, जम्मू	60.07
	सकल योग		91,768.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भारत सरकार द्वारा जारी ₹27,61,19.19 लाख की कुल राशि में से ₹9,17,68.33 लाख की राशि संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों और ₹18,43,50.86 लाख विभिन्न स्वायत्त निकायों/ सरकार के अन्य संस्थाओं (केन्द्रीय अभिकरणों के ₹59,18.14 लाख सहित) को हस्तांतरित की गई। कृपया लेखाओं पर टिप्पणियाँ के खण्ड-1 के पैरा 3 (xi) का भी संदर्भ लें।

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 4.13)

31 मार्च 2021 तक लेखाओं के बकायों की स्थिति

क्र. सं.	कंपनी का नाम	31.03.2021 तक अंतिम लेखापरीक्षित
1.	जेएण्डके राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2014-15
2.	जेएण्डके राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14
3.	जेएण्डके लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2012-13
4.	जेएण्डके खनिज लिमिटेड	2002-03
5.	जेएण्डके सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12
6.	जेएण्डके हस्तशिल्प (एसएण्डई) निगम लिमिटेड	2014-15
7.	जेएण्डके हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2013-14
8.	जेएण्डके उद्योग लिमिटेड	2013-14
9.	जेएण्डके कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15
10.	जेएण्डके एचपीएमसी लिमिटेड	2010-11
11.	जेएण्डके केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11
12.	जेएण्डके पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15
13.	जेएण्डके एससी/ एसटी/ ओबीसी विकास निगम लिमिटेड	2010-11
14.	जेएण्डके परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14
15.	जेएण्डके पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2010-11
16.	जेएण्डके विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11
17.	जेएण्डके चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	उपलब्ध नहीं ¹
18.	जेएण्डके बैंक लिमिटेड	2019-20
19.	जेएण्डके बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2019-20
20.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना (प्रा.) लिमिटेड	2019-20
21.	जेएण्डके महिला विकास निगम लिमिटेड	2018-19
22.	जेएण्डके व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2019-20
23.	जेएण्डके विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19
24.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19
25.	जेएण्डके अवसंरचना विकास वित्तीय निगम लिमिटेड	2018-19
क्र. सं.	निगम का नाम	तक अंतिम लेखापरीक्षित
1.	जेएण्डके राज्य सड़क परिवहन निगम	2013-14
2.	जेएण्डके राज्य वन निगम ²	-
3.	जेएण्डके राज्य वित्तीय निगम	2018-19

¹ कंपनी को मार्च 2014 में निगमित किया गया था और इस कार्यालय को उसने कभी भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।

² निगम की लेखापरीक्षा वर्ष 1996-97 से इस कार्यालय को सौंपी गई थी। हालांकि, निगम ने कभी भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.3)

31 मार्च 2021 तक सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में पीएसयू का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियाँ
क	विद्युत क्षेत्र	
I	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	
1.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	-
2.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	-
3.	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	कंपनी ने आरंभ से अपने लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं।
4.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-
5.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	-
II	सरकार नियंत्रित कार्यशील अन्य कंपनी	
6.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	-
ख	सामाजिक क्षेत्र	
I	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	
7.	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-
8.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	-
10.	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	-
11.	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-
12.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	-
13.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	-
14.	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	-
15.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	-
16.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-
17.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	-
18.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	-

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियाँ
19.	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड	-
20.	जम्मू एवं कश्मीर वन विभाग निगम लिमिटेड	कंपनी को जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन निगम अधिनियम, 1978 के निरसन के उपरांत दिसंबर 2020 में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित किया गया था।
21.	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	कंपनी ने आरंभ से अपने लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं।
22.	एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर इडीआई फाउन्डेशन	कंपनी ने आरंभ से अपने लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं।
II	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ	
23.	जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्संरचना लिमिटेड	सरकार ने 2019 के आदेश संख्या एफडी 453 दिनांक 24 अक्टूबर 2019 द्वारा कंपनी के स्वैच्छिक समापन को संस्वीकृति प्रदान कर दी है।
24.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी)	कंपनी परिसमापनाधीन है
ग	प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण क्षेत्र	
I	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	
25.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	-
26.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	-
27.	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	-
28.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	-
29.	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	-
30.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-
II	कार्यशील सांविधिक निगम	
31.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	-
32.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	-
III	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ	
33.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	कंपनी परिसमापनाधीन है
34.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	कंपनी परिसमापनाधीन है
घ	अन्य	
I	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	
35.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	-

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियाँ
36.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	-
37.	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-
38.	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कंपनी ने आरंभ से अपने लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं।
39.	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी ने इसकी व्यावसायिक गतिविधि अभी तक आरंभ नहीं की है।
40.	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी ने इसकी व्यावसायिक गतिविधि अभी तक आरंभ नहीं की है।
II	अक्रियाशील सरकारी कंपनियाँ	
41.	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	कंपनी ने इसकी व्यावसायिक गतिविधि अभी तक आरंभ नहीं की है।
42.	जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र निगम लिमिटेड	कंपनी ने इसकी व्यावसायिक गतिविधि अभी तक आरंभ नहीं की है।

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.3)

30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार पीएसयू के कुल कारोबार का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	कुल कारोबार
क	विद्युत क्षेत्र			
I	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ			
1.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2020-21	1,037.85
2.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	2020-22	0
3.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	0
4.	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	-	-
5.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	0
II	सरकार नियंत्रित कार्यशील अन्य कंपनी			
6.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	2002-21	2021-22	0
ख	सामाजिक क्षेत्र			
I	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ			
7.	जेएण्डके कृषि कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2020-21	36.41
8.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2010-11	2020-21	5.35
9.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	0.88
10.	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	7.56
11.	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	438.50
12.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2019-20	19.16
13.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	2013-14	2019-20	4.97
14.	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	2013-14	0.00
15.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	11.12
16.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	38.37

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	कुल कारोबार
17.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2019-20	2020-21	0
18.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	2018-19	2019-20	0
19.	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	2020-21	0
20.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	148.71
21.	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	-	-
22.	एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर ईडीआई फाउन्डेशन	-	-	-
II	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ			
23.	जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्संरचना लिमिटेड	-	-	-
24.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी)	1991-92	1999-2000	-
ग	प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण क्षेत्र			
I	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ			
25.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12	2019-20	120.50
26.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	2020-21	14.30
27.	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	2013-14	2021-22	37.20
28.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	2020-21	2021-22	8,111.09
29.	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2020-21	2021-22	9.37
30.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	45.90
II	कार्यशील सांविधिक निगम			
31.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	2018-19	2019-20	6.03
32.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	2020-21	79.71
III	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ			
33.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	1989-90	1991-92	-
34.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	1999-2000	2000-01	-
घ	अन्य			

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	कुल कारोबार
I कार्यशील सरकारी कंपनियाँ				
35.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	409.06
36.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2021-22	8.64
37.	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2021-22	0
38.	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	-	-
39.	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-
40.	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-
II निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ				
41.	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	-	-	-
42.	जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र निगम लिमिटेड	-	-	-
	कुल			10,590.68

स्रोत: पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखे

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.4.1)

31 मार्च 2021 तक पीएसयू से संबंधित इक्विटी तथा बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2020-21 के अंत तक दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)
क.	विद्युत क्षेत्र										
I.	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
1.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	विद्युत विकास विभाग (पीडीडी)	फरवरी-1995	2,593.34	0	0	2,593.34	0	0	1,256.80	1,256.80
2.	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	पीडीडी	जून-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
3.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	पीडीडी	जन-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
4.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	पीडीडी	मार्च-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
5.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	पीडीडी	मार्च-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	6,012.24	6,012.24
II.	सरकार नियंत्रित कार्यशील अन्य कंपनी										
6.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना (प्रा.) लिमिटेड	पीडीडी	जून-2011	0.00	0	2479.78	2479.78	0	0	0	0
	कुल क			2,593.54	0.00	2,479.78	5,073.32	0.00	0.00	7,269.04	7,269.04
ख.	सामाजिक क्षेत्र										
I.	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
7.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	कृषि उत्पादन	30 जनवरी 1970	2.60	0.94	0	3.54	71.68	0	0	71.68
8.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	कृषि उत्पादन	10 अप्रैल 1978	6.80	3.20	0	10.00	10.25	0	0	10.25
9.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1 अप्रैल 1986	20.77	28.05	0	48.82	0	0	64.05	64.05
10.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	10 मई 1996	10.00	0	0	10.00	0	0	77.11	77.11
11.	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	28 नवंबर 1975	89.91	0	0	89.91	0	0	0	0

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2020-21 के अंत तक दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)
12.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	17 मार्च 1969	17.64	0	0	17.64	8.05	0	0	8.05
13.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	4 अक्टूबर 1960	16.27	0	0	16.27	264.99	0	0	264.99
14.	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 2010	4.06	0	0	4.06	0	0	0	0
15.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	6 जनवरी 1970	7.08	0.89	0	7.97	60.97	0	0	60.97
16.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	29 जून 1981	3.49	1.5	0	4.99	67.96	0	0	67.96
17.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	उद्योग एवं वाणिज्य	30 मई 2018	2.55	0	2.68	5.23	0	0	0	0
18.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	वित्त	25 सितंबर 2018	0.5	0	0	0.5	0	0	1,347.37	1347.37
19.	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	31 मार्च 2014	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
20.	एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर ईडीआई फाउंडेशन	उद्योग एवं वाणिज्य	7 सितंबर 2018	0.05	0	0	0.05	एनए	एनए	एनए	एनए
21.	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्रा. लिमिटेड	आई टी और संचार	7 मार्च 2019	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0
22.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	वन	01-जुलाई-1979	9.03	0	0	9.03	18.00		0	18.00
	कुल I ख			182.27	35.58	2.68	219.53	501.90	0	1,488.53	1,990.43
II. अक्रियाशील कंपनी											
23.	जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्संरचना लिमिटेड	वित्त	28-Apr-17	1.02	0	0.98	2	0	0	0	0
24.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी)	उद्योग एवं वाणिज्य	29-Nov-91	0.4	0	0	0.4	एनए	एनए	एनए	एनए
	कुल II ख			1.42	0	0.98	2.40	0	0	0	0
	कुल ख (I+II)			183.69	33.58	4.66	221.93	501.90	0	1488.53	1990.43

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2020-21 के अंत तक दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)
ग.	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
25.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	24 दिसंबर 1974	49.86	0	0	49.86	16.34	0	31.09	47.73
26.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	5 फरवरी 1960	8.00	0	0	8.00	169.78	0	0	169.78
27.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	पर्यटन	28 नवंबर 1988	23.57	0	0	23.57	0	0	0	0
28.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 1938	48.64	0	22.72	71.36	0	0	2,015.20	2,015.20
29.	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	वित्त	27 अगस्त 2009	0	0	20.00	20.00	0	0	7.70	7.70
30.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	वित्त	2 दिसंबर 1959	172.35	0	0.54	172.89	0	0	40.9	40.9
31.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1 सितंबर 1976	286.79	15.01	24.79	326.59	740.61	0	0	740.61
32.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	13 फरवरी 1970	15.96	0	0	15.96	8.26	0	0	8.26
	कुल I ग			605.17	15.01	68.05	688.23	934.99	0	2,094.89	3,030.18
	II. निष्क्रिय कंपनियाँ										
33.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	15 दिसंबर 1976	0.80	0	0	0.80	0.83	0	0	0.83
34.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	24 जनवरी 1978	1.37	0	0	1.37	0	0	0	0
	कुल II ग			2.17	0	0	2.17	0.83	0	0	0.83
	कुल ग (I+II)			607.34	15.01	68.05	690.40	935.82	0	2094.89	3031.01
घ.	अन्य										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
35.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	22 मई 1965	1.53	0	0	1.53	0	0	0	0
36.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	26 दिसंबर 1997	2.00	0	0	2.00	0	0	0	0
37.	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	8 सितंबर 2017	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0
38.	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	8 सितंबर 2017	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0
39.	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्रा. लिमिटेड	शहरी विकास	12 मार्च 2019	0.02	0	0	0.02	0	0	0	0

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2020-21 के अंत तक दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)
40.	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्रा. लिमिटेड	शहरी विकास	13 मार्च 2019	0.02	0	0	0.02	0	0	0	0
	कुल I घ			3.77	0	0	3.77	0.00	0	0	0
	II. निष्क्रिय कंपनियाँ										
41.	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	31 मार्च 2014	5.00	0	0	5.00	एन	एन	एन	एन
42.	जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	1 फरवरी 2014	48.00	0	0	48.00	एन	एन	एन	एन
	कुल II घ			53.00	0	0	53.00	एन	एन	एन	एन
	कुल घ (I+II)			56.77	0	0	56.77	0.00	0	0	0
	कुल योग (क+ख+ग+घ)			3,441.34	48.59	2,551.49	6,042.42	1,437.72	0	10,852.46	12,290.48

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.4.3)

मार्च 2021 तक पीएसयू के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			वित्त लेखा के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध प्रत्याभूति
1	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2,593.34	0	1,539.71	2,593.34	85.05	प्रतीक्षित	0	-85.05	1,539.71*
2	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	0.05	0	6,012.24	0.05	0	प्रतीक्षित	0	0	6,012.24*
3	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	6.80	10.25	0	6.80	12.67	0	0	-2.42	0
4	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	10.00	0	73.87	10.00	0	27.63	0	0	46.24
5	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	49.86	14.70	0	15.00	0	0	34.86	14.70	0
6	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	8.00	169.78	0	8.00	1.86	0	0	167.92	0
7	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम	15.96	8.26	0	5.00	0	0	10.96	8.26	0
8	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहननिगम	286.79	704.61	0	331.73	439.23	0	-44.94	265.38	0
	कुल	2,970.80	907.60	7,625.82	2,969.92	538.81	27.63	0.88	368.79	7,598.19

(स्रोत: पीएसयू एवं वित्त लेखे से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

*भिन्नताएं वित्त लेखे में प्रतीक्षित सूचना के कारण हैं।

परिशिष्ट 5.5

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.5)

30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम और क्षेत्र का प्रकार	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज तथा कर के बाद निवल लाभ
1.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2010-11	2020-21	31.47
2.	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	0.67
3.	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	1.57
4.	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्रा. लिमिटेड	2019-20	2020-21	0.06
5.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12	2019-20	6.30
6.	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	2013-14	2021-22	9.94
7.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	2020-21	2021-22	428.45
8.	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2020-21	2021-22	2.67
9.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	2018-19	2019-20	3.18
10.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	3.16
11.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2021-22	12.23
12.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2020-21	20.42
	कुल			520.12

(स्रोत: पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के आधार पर संकलित)

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट 5.6

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.7.2)

निवेश पर प्रतिफल- जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (सूचीबद्ध पीएसयू)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इन्विटी	जोड़ी गयी इन्विटी	अनुदान/सहायिकी	लाभान्श प्राप्ति	विनिवेश प्राप्ति	वर्षों की संख्या	ब्याज की दर (आर)	1+आर	जोड़ी गयी इन्विटी का आरंभ मूल्य	अनुदान/सहायिकी का आरंभ मूल्य	विनिवेश प्राप्ति का पीवी	लाभान्श प्राप्ति का पीवी	निवेश का मूल्य	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर बाजार मूल्य	शेयर का बाजार मूल्य (I)	निवेश का वर्तमान मूल्य	आरओआई	सीएजीआर
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन	ओ	पी	क्यू	आर	एस	यू
								(1+एच)	सी/ (जी-1) का मूल्य वर्ष के आरंभ से आई का उत्पाद	डी/ (जी-1) का मूल्य वर्ष के आरंभ से आई का उत्पाद	एफ* अंतिम वर्ष हेतु वर्ष से आई का उत्पाद	ई* अंतिम वर्ष हेतु वर्ष से आई का उत्पाद	बी+Σजे+Σके		ओ*पी	क्यू+Σएल+Σएम	(आर-एन)/एन/जी	(वर्तमान वर्ष का आरओआई/ 1999-2000 का आरओआई)*1/(जी-1)-1*100	
1998-99	4847.78	0	0	773.26	0	1	0.1088	1.11	0.00	0	0.00	4,967.65	4,847.78	4,84,77,802	28.00	13,573.78	18,541.43	282.47	
1999-2000	4847.78	0	0	902.13	0	2	0.1196	1.12	0.00	0	0.00	5,226.90	4,847.78	4,84,77,802	36.15	17,524.73	27,719.28	235.90	-16.49
2000-01	4847.78	0	0	1,031.01	0	3	0.0923	1.09	0.00	0	0.00	5,335.48	4,847.78	4,84,77,802	37.30	18,082.22	33,612.25	197.78	-16.32
2001-02	4847.78	0	0	12,88.76	0	4	0.1120	1.11	0.00	0	0.00	6,105.78	4,847.78	4,84,77,802	73.35	35,558.47	57,194.28	269.95	-1.50
2002-03	4847.78	0	0	15,46.52	0	5	0.1054	1.11	0.00	0	0.00	6,588.98	4,847.78	4,84,77,802	113.85	55,191.98	83,416.77	324.14	3.50
2003-04	4847.78	0	0	25,77.53	0	6	0.1095	1.11	0.00	0	0.00	9,934.53	4,847.78	4,84,77,802	493.15	23,90,68.28	2,77,227.60	936.44	27.09
2004-05	4847.78	0	0	20,62.02	0	7	0.0897	1.09	0.00	0	0.00	7,163.25	4,847.78	4,84,77,802	363.05	1,75,998.66	2,21,321.23	637.92	14.54
2005-06	4847.78	0	0	20,62.02	0	8	0.0815	1.08	0.00	0	0.00	6,573.60	4,847.78	4,84,77,802	450.80	2,18,537.93	2,70,434.09	684.81	13.49
2006-07	4847.78	0	0	29,64.16	0	9	0.1166	1.12	0.00	0	0.00	8,737.44	4,847.78	4,84,77,802	643.15	3,11,784.98	3,72,418.59	842.47	14.64
2007-08	4847.78	0	0	39,95.17	0	10	0.1407	1.14	0.00	0	0.00	10,546.80	4,847.78	4,84,77,802	678.55	3,28,946.13	4,00,126.52	815.38	12.50
2008-09	4847.78	0	0	42,56.02	0	11	0.0794	1.08	0.00	0	0.00	9,849.58	4,847.78	4,84,77,802	314.80	1,52,608.12	2,33,638.10	429.04	4.27
2009-10	4847.78	0	0	56,70.56	0	12	0.0945	1.09	0.00	0	0.00	12,157.87	4,847.78	4,84,77,802	681.70	3,30,473.18	4,23,661.03	719.94	8.88
2010-11	4847.78	0	0	67,01.57	0	13	0.0903	1.09	0.00	0	0.00	13,127.82	4,847.78	4,84,77,802	874.00	4,23,695.99	5,30,011.67	833.31	9.43
2011-12	4847.78	0	0	86,34.71	0	14	0.0828	1.08	0.00	0	0.00	15,513.79	4,847.78	4,84,77,802	919.00	4,45,511.00	5,67,340.47	828.79	8.63
2012-13	4847.78	0	0	1,28,87.63	0	15	0.0819	1.08	0.00	0	0.00	21,384.30	4,847.78	4,84,77,802	1191.00	5,77,370.62	7,20,584.39	984.28	9.33
2013-14	4847.78	0	0	1,28,87.63	0	16	0.0714	1.07	0.00	0	0.00	19,765.50	4,847.78	4,84,77,802	1538.00	7,45,588.59	9,08,567.86	1,165.12	9.91
2014-15	4847.78	0	0	5412.81	0	17	0.0768	1.08	0.00	0	0.00	7,748.28	4,847.78	48,47,78,020	95.05	4,60,781.51	6,31,509.06	760.40	6.38
2015-16	4847.78	0	0	4,510.67	0	18	0.0725	1.07	0.00	0	0.00	5,996.38	4,847.78	48,47,78,020	60.50	2,93,290.70	4,70,014.64	533.08	3.81
2016-17	4847.78	3655.51	0	0	0	19	0.0783	1.08	705.30	0	0.00	0.00	5,553.08	52,13,33,071	75.00	3,90,999.80	5,67,723.74	532.82	3.59
2017-18	4847.78	3525.00	0	0	0	20	0.0723	1.07	630.73	0	0.00	0.00	6,183.81	55,68,58,392	60.35	3,36,064.04	5,12,787.97	409.61	1.98
2018-19	4847.78	0	0	0	0	21	0.0720	1.07	0.00	0	0.00	0.00	6,183.81	55,68,58,392	53.70	2,99,032.96	4,75,756.89	361.60	1.24
2019-20	4847.78	1566.00	0	0	0	22	0.0720	1.07	243.76	0	0.00	0.00	6,427.57	71,34,50,938	12.36	88,182.54	2,64,906.47	182.79	-2.05
2020-21	4847.78	0	0	0	0	23	0.0672	1.07	0.00	0	0.00	0.00	6,427.57	71,34,50,938	26.65	1,90,134.67	3,66,858.61	243.81	-0.67

परिशिष्ट 5.7

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.7.5)

वर्ष 1999-2000 से 2020-21 के लिए गैर-सूचीबद्ध पीएसयू में सरकार द्वारा वर्ष-वार निवेश तथा सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये निवल ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में प्रत्यावर्तित ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	ब्याज की औसत दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य
ए	बी	सी	डी	ई	एफ=सी+डी-ई	जी=बी+एफ	एच	आई=जी*(1+एच/100)
1999-2000 तक	352.29	7.14	0	0	7.14	359.43	11.96	402.42
2000-01	402.42	4.56	0	0	4.56	406.98	9.23	444.54
2001-02	444.54	1.82	0	0	1.82	446.36	11.2	496.35
2002-03	496.35	13.29	0	0	13.29	509.64	10.54	563.36
2003-04	563.36	2.80	0	0	2.8	566.16	10.95	628.16
2004-05	628.16	4.03	0	0	4.03	632.19	8.97	688.89
2005-06	688.89	7.55	0	0	7.55	696.44	8.15	753.20
2006-07	753.20	2.50	0	0	2.5	755.70	11.66	843.82
2007-08	843.82	1.20	11.55	0	12.75	856.57	14.07	977.09
2008-09	977.09	7.63	0	0	7.63	984.72	7.94	1,062.90
2009-10	1,062.90	17.09	0	0	17.09	1,079.99	9.45	1,182.05
2010-11	1,182.05	11.06	0	0	11.06	1,193.11	9.03	1,300.85
2011-12	1,300.85	6.09	0	0	6.09	1,306.94	8.28	1,415.16
2012-13	1,415.16	7.00	0	0	7	1,422.16	8.19	1,538.63
2013-14	1,538.63	78.08	0	0	78.08	1,616.71	7.14	1,732.14
2014-15	1,732.14	1.21	3.62	0	4.83	1,736.97	7.68	1,870.37
2015-16	1,870.37	6.85	0	0	6.85	1,877.22	7.25	2,013.32
2016-17	2,013.32	9.56	0	0	9.56	2,022.88	7.83	2,181.27
2017-18	2,181.27	97.30	21.83	17.5	101.63	2,282.90	7.23	2,447.96
2018-19	2,447.96	120.74	23.18	0	143.92	2,591.88	7.20	2,778.49
2019-20	2,778.49	2,616.82	15.88	0	2632.7	5,411.19	7.20	5,800.80
2020-21	5,800.80	83.47	47.1	0	130.57	5,931.37	6.72	6,329.96
कुल		3,107.79	123.16	17.5	3,213.45			

(स्रोत: मार्च 2021 तक संबंधित पीएसयू द्वारा प्रस्तुत नवीनतम सूचना के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 5.8

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.8)

30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार हानियों वाले पीएसयू का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (+)	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	मुक्त भण्डार	संचित लाभ/ हानि	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य
I	सरकारी कंपनियाँ									
1.	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2020-21	-2.20	3.54	25.06	0.00	-49.20	-20.60	-45.66
2.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	-5.97	46.92	78.46	0.00	-43.18	82.20	3.74
3.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2019-20	-20.54	17.65	24.36	0.00	-146.99	-104.98	-129.34
4.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	2013-14	2019-20	-36.39	16.27	686.13	0.00	-753.25	-50.85	-736.98
5.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-8.60	8.52	154.66	0.00	-170.06	-6.88	-161.54
6.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-1.28	4.99	150.73	0.00	-140.20	15.52	-135.21
7.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2019-20	2020-21	-0.16	5.23	0	0	-0.03	5.20	5.20
8.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	2018-19	2019-20	-0.06	0.50	0	0	-0.06	0.44	0.44
9.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास लिमिटेड	2019-20	2021-22	-6.14	15.96	4.26	0.00	-3.35	16.87	12.61
10.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	2020-21	-8.38	8.00	263.83	0.16	-225.01	46.82	-217.01
11.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	-3.99	9.03	18.05	0.00	-249.13	-222.05	-240.10

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (+)	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	मुक्त भण्डार	संचित लाभ/ हानि	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य
12.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचरण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0.05	0	0	-0.03	0.02	0.02
13.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0	0	0	-0.03	-0.03	-0.03
14.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	-0.0059	0.05	0	0	-0.02	0.03	0.03
	कुल			-93.71	136.66	1,405.54	0.16	-1,780.54	-238.29	-1,643.83
II	सांविधिक निगम									
15.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	2020-21	-117.62	207.96	676.02	0	-1,634.94	-750.96	-1,426.98
III	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी									
16.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	2021-22	-3.18	2,723.66	0.00	0.00	49.34	2,773.00	2,773.00
	कुल योग			-214.51	3,068.28	2081.56	0.16	-3,366.14	1,783.75	-297.81

परिशिष्ट 5.9

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.8.1)

30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार संचित हानियों वाले पीएसयू का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (+)	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	मुक्त भण्डार	मुक्त आरक्षित तथा संचित लाभ/ हानि	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य
सरकारी कंपनियाँ										
1.	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2020-21	-2.2	3.54	25.06	0	-49.2	-20.6	-45.66
2.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2010-11	2020-21	31.46	9.2	23.85	0	-71.28	-38.23	-62.08
3.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	-5.97	46.92	78.46	0	-43.18	82.20	3.74
4.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2019-20	-20.54	17.65	24.36	0	-146.99	-104.98	-129.34
5.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	2013-14	2019-20	-36.39	16.27	686.13	0	-753.46	-51.06	-737.19
6.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-8.6	8.52	154.66	0	-170.06	-6.88	-161.54
7.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-1.28	4.99	150.73	0	-132.99	22.73	-128
8.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2019-20	2020-21	-0.16	5.23	0	0	-0.03	5.2	5.2

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (-)	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	मुक्त भण्डार	मुक्त आरक्षित तथा संचित लाभ/ हानि	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य
9.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	2018-19	2019-20	-0.06	0.5	0	0	-0.06	0.44	0.44
10.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	-3.99	9.03	18.05	0	-249.13	-222.05	-240.1
11.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	2020-21	-8.38	8	263.83	0.16	-225.01	46.82	-217.01
12.	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2020-21	2021-22	2.67	20	0	0	-3.19	16.81	16.81
13.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	-6.14	15.96	4.26	0	-3.35	16.87	12.61
14.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	2018-19	2019-20	3.18	172.89	39.43	0	-172.97	39.35	-0.08
15.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0.05	0	0	-0.03	0.02	0.02
16.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0	0	0	-0.03	-0.03	-0.03
17.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	-0.0059	0.05	0	0	-0.02	0.03	0.03
	कुल			-56.41	338.75	1468.82	0.16	-2,020.98	-213.36	-1,682.18
सांविधिक निगम										
18.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	2020-21	-117.62	207.96	676.02	0	-1,634.94	-750.96	-1,426.98
	कुल योग			-174.027	546.71	2,144.84	0.16	-3,655.92	-964.32	-3,109.16

परिशिष्ट 5.10

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.11.2)

कार्यशील पीएसयू, जिनके लेखे 30 नवंबर 2021 तक बकायों में हैं, में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	अंतिम रूप देने के लिए लंबित लेखाओं की अवधि	जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लिए लेखे बकायों में हैं				
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सहायिकी	कुल
क	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ								
1	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15	3.54	6	0	0.54	0	0.00	0.54
2	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2010-11	9.20	10	0.80	24.00	4.75	0.00	29.55
3	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	3.12	4	0	0	0	0.00	0.00
4	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	17.64	7	0	0.00	237.28	0	237.28
5	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	1.97	2	0	0.00	0	0.00	0.00
6	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2.00	6	0	0.00	0	0.00	0.00
7	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	4.99	2	0	4.60	11.80	0.00	16.40
8	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	8.52	2	0	7.50	10.21	0.00	17.71
9	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	2013-14	16.27	7	0	23.62	62.30	0.00	85.92
10	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	8.00	10	0	12.69	39.34	0.00	52.03
11	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	15.96	1	0	0.00	8.67	0.00	8.67

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	अंतिम रूप देने के लिए लंबित लेखाओं की अवधि	जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लिए लेखे बकायों में हैं				
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सहायिकी	कुल
12	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2017-18	46.92	3	1.65	14.23	6.35	0.20	22.43
13	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2019-20	10.00	1	0	3.00	0	0.00	3.00
14	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12	45.77	9	0	0.25	2.63	0.00	2.88
15	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	2013-14	23.57	6	0	0.00	26.19	0.00	26.19
16	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	2.56	10	0	0.00	0	0.00	0.00
17	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	2018-19	0.50	2	0	0.00	121.26	0.00	121.26
18	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्रा. लिमिटेड	2019-20	0.50	1	0	0.00	50.00	0.00	50.00
19	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2019-20	5.23	1	0	0.00	0	0.00	0.00
20	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2014-15	5.00	6	0	0.00	143.07	0.00	143.07
21	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	0.05	2	0.05	0.00	253.09	0.00	253.14
22	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	0	2	0	0.00	113.38	450.00	1,097.79
23	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	9.03	1	0	0.00	0	0.00	0.00
24	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.10	2	0	0.00	20.20	0.00	20.20
25	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	0.05	4	0.05	0.00	4,154.11	0.00	4,154.11
26	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	*	*	7	0	0.00	0	0.00	0.00

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	अंतिम रूप देने के लिए लंबित लेखाओं की अवधि	जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लिए लेखे बकायों में हैं				
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सहायिकी	कुल
27	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	*	*	4	0.10	0.00	0	0.00	0.00
28	एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर इंडीआई फाउन्डेशन ⁺	*	*	3	0	0.00	0	0.00	0.00
29	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	*	*	2	0	0.00	0	0.00	0.00
30	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	*	*	2	0	0.00	0	0.00	0.00
31	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	*	*	8	0.05	0.00	637.49	4,050.00	4,687.54
	कुल क			133	2.70	90.43	6,437.90	4,500.20	11,031.27
ख	कार्यशील सांविधिक निगम								
32	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	207.96	2	93.84	65.50	0	0.00	159.34
33	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	2018-19	172.89	2	0	0.00	0	0.00	0.00
	कुल ख		380.85	4	93.84	65.50	0	0.00	159.34
	कुल (क+ख)			137	96.54	155.93	6,437.90	4,500.20	11,190.61

(स्रोत: प्रदत्त पूँजी के लिए कंपनियों के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखे तथा उस अवधि, जिसके लिए लेखे बकायों में हैं, के दौरान जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किये गये निवेश हेतु कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

* इन कंपनियों ने आरंभ से अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।

+ कंपनी ने 2020-21 के लिए सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

परिशिष्ट-6

बजट से संबंधित महत्त्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

1. **वर्ष के 'लेखा' या 'वास्तविक' आँकड़े** - का अर्थ 01 अप्रैल से आरंभ तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों की राशियाँ हैं, जिसे अंतिम रूप से लेखांकन प्राधिकार पुस्तिकाओं (सीएण्डएजी द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के अनुसार) में दर्ज की गई थी। अनंतिम लेखे अलेखापरीक्षित लेखा के संदर्भ में है।
2. **'योजना, प्रस्ताव या कार्य का 'प्रशासनिक अनुमोदन'** - व्यय करने के उद्देश्य हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी औपचारिक सहमति है। बजट में निधियों के प्रावधान के साथ लिया गया, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिए वित्तीय संस्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाता है।
3. **'वार्षिक वित्तीय विवरण'** - बजट के रूप में भी संदर्भित अर्थात् संसद/ राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र/ राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण।
4. **'विनियोग'** - का अर्थ है विनियोग की भिन्न-भिन्न प्राथमिक इकाई अथवा उसके भाग के अंतर्गत व्यय के लिए संसद/ राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिकृत राशि एक संवितरण अधिकारी के निपटान पर रखी गयी है।
5. **'प्रभारित व्यय'** - का तात्पर्य ऐसा व्यय जो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधानमण्डल के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6. **'भारत राज्य की समेकित निधि'** - संघ/ राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा सृजित ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि भारत/ राज्य की समेकित निधि का निर्माण करती है। इस निधि में से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार तथा संविधान में प्रावधान किए उद्देश्यों और तरीकों के अतिरिक्त विनियोजित नहीं की जा सकती है।
7. **'आकस्मिकता निधि'** - अग्रदाय प्रकृति की है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य कार्यपालिका/ सरकार को वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद/ राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अग्रिम प्रदान करना है। आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति संसद/ राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक मांगों के माध्यम से इसे अनुमोदित करने के उपरांत की जाती है।

8. **'नियंत्रण अधिकारी (बजट)'** - का आशय एक ऐसे अधिकारी से है जिसे विभाग द्वारा व्यय और/ अथवा राजस्व संग्रहण को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व दी गई है। इस पद में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल है।
9. **'आहरण एवं संवितरण अधिकारी' (डीडीओ)** - का तात्पर्य राज्य सरकार की ओर से बिलों का आहरण करने एवं भुगतान करने के लिए कार्यालय प्रमुख और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी से भी है। इस पद में विभागाध्यक्ष भी शामिल होगा जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10. **'आधिक्य अनुदान'** - आधिक्य अनुदान का अर्थ है मूल/ अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत प्रावधान से ऊपर और उससे अधिक व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अंतर्गत संसद/ राज्य विधानमण्डल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमित किये जाने की आवश्यकता होती है।
11. **'नई सेवा'** - जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ए)/205(1)(ए) में दर्शाया गया है, नई सेवा का अर्थ है एक नये नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाला व्यय, जिसे पूर्व में संसद/ राज्य विधानमण्डल के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जिसमें एक नई गतिविधि या निवेश का एक नया रूप शामिल है।
12. **'सेवा का नया साधन'** - का अर्थ है विद्यमान गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत बृहत् व्यय।
13. **'लोक लेखा'** - का तात्पर्य संविधान की धारा 115 (2) में संदर्भित लोक लेखा से है। प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे जमाएं, आरक्षित निधियाँ, प्रेषण, इत्यादि जो समेकित निधि का भाग नहीं है, को लोक लेखा में शामिल किया जाता है। लोक लेखा से संवितरण संसद/ राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यक्षीन नहीं है, क्योंकि वे भारत/ राज्य की समेकित निधि से जारी किये गये धन नहीं हैं।
14. **'पुनर्विनियोग'** - का अर्थ है एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विनियोग की एक इकाई से उसी अनुदान या प्रभारित विनियोग के भीतर दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचतों का हस्तांतरण।
15. **'परिशोधित प्राक्कलन'** - एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियाँ अथवा व्यय का एक प्राक्कलन है, जो उस वर्ष के दौरान पहले से दर्ज संव्यवहारों के संदर्भ में एवं पहले से जारी आदेशों के आलोक में शेष वर्ष के लिए प्रत्याशा के संदर्भ में तैयार किया गया है।

16. **'अनुदान के लिए अनुपूरक मांग'** - का अर्थ है विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक मांगों का विवरण, जिसमें उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक या ऊपर किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में आवश्यक अगले व्यय की अनुमानित राशि दर्शायी गयी हो। अनुपूरक की मांग टोकन, तकनीकी या वास्तविक/ नकद हो सकती है।
- (क) **नकद अनुपूरक** - मूल बजट प्रावधानों से अधिक और ऊपर है एवं इसके परिणामस्वरूप मांग/ अनुदान के लिए आबंटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में और सम्यक् तत्परता के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में, इस पद्धति का अनुकरण राज्य द्वारा किया जाता है।
- (ख) प्रत्येक मांग में चार अनुभाग होते हैं, जैसे, राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूँजीगत दत्तमत एवं पूँजीगत प्रभारित। **तकनीकी अनुपूरक**, राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, किसी एक अनुभाग की बचतों को किसी अन्य अनुभाग के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।
- (ग) **टोकन अनुपूरक** - अनुदान के एक ही अनुभाग के भीतर बचतों का उपयोग करने की अनुमति देता है।
17. **'मुख्य शीर्ष'** - का अर्थ राज्य के प्राप्तियों एवं संवितरणों को अभिलेखबद्ध और वर्गीकृत करने हेतु लेखा के मुख्य शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आने वाला, सामान्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि जैसे सरकार के एक 'कार्य' से मेल खाता है।
18. **'उप-मुख्य शीर्ष'** - का अर्थ एक मुख्य शीर्ष और उसके अंतर्गत लघु शीर्षों के मध्य शुरू किये गये एक मध्यवर्ती लेखा शीर्ष से है, जब लघु शीर्ष असंख्य हो तथा ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के अंतर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किये जा सकें।
19. **'लघु शीर्ष'** - का तात्पर्य मुख्य शीर्ष अथवा उप मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक शीर्ष से है। एक मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष, मुख्य शीर्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किये गये "कार्यक्रम" की पहचान करता है।
20. **'उप-शीर्ष'** - का अर्थ है लघु शीर्ष के बाद अगले अधीनस्थ लेखा की इकाई जो सामान्यतः उस लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अंतर्गत योजना या संगठन को दर्शाती है।
21. **'मुख्य निर्माण कार्य'** - का अर्थ एक मूल निर्माण कार्य से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक है।

22. **'लघु निर्माण कार्य'** - का अर्थ एक मूल निर्माण कार्य से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं है।
23. **'आशोधित अनुदान या विनियोग'** - का अर्थ है विनियोग के किसी उप-शीर्ष को आबंटित राशि से है क्योंकि यह पुनर्विनियोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति के बाद है।
24. **'अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन'** - का अर्थ एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम में शामिल प्रावधान से है, जो उस वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए है।
25. **'नये व्यय की अनुसूची'** - का अर्थ आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नये व्यय की मदों का विवरण है।
26. **'टोकन मांग'** - का अर्थ विधानसभा में नाममात्र या टोकन/ सांकेतिक राशि के लिए की गई मांग से है, उदाहरण के लिए, जब नयी सेवा पर होने वाले समस्त व्यय को संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा करना प्रस्तावित होता है।